



सत्यमेव जयते



नागरिक / ग्राहक घोषणापत्र

दिल्ली नगर कला आयोग

(संसद के एक अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय, भारत सरकार)

शहरी विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

कोर-6ए, यू.जी तथा प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

फोन - 011 - 24619593

फैक्स - 011 - 24648970

वेबसाइट - www.duac.org

ई-मेल - duac74@gmail.com

संज्ञानात्मक (विज्ञान)

दिल्ली में शहरी तथा पर्यावरणीय डिज़ाइन की सौंदर्यपरक विशिष्टता की रक्षा, विकास एवं रखरखाव करना ।

लक्ष्य (मिशन)

- (i) दिल्ली में शहरी तथा पर्यावरणीय डिज़ाइन की सौंदर्यपरक विशिष्टता की रक्षा, विकास एवं रखरखाव सम्बंधी विषयों में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देना तथा
- (ii) भवनों से सम्बंधित परिवेश की सौंदर्यपरक विशिष्टता या उसमें विदित किसी जनरम्यता को प्रभावित करने वाले किसी विकास प्रस्ताव अथवा निर्माण कार्यो या इंजीनियरी कार्यो सम्बंधी परियोजना के विषय में किसी स्थानीय निकाय को परामर्श देना तथा मार्गदर्शन करना ।

सेवा मानक / उद्देश्य

उद्देश्य	प्रदर्शन लक्ष्यों का माप
<ul style="list-style-type: none">• भवन तथा इंजिनियरी प्रस्तावों के मूल्य संवर्धन हेतु सौंदर्यपरक तथा व्यवहारिक पक्ष देखना• आयोग के अध्यादेश के तहत प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा तथा सांविधिक निर्णय देना• नगर स्तर विषयों पर हितबद्ध प्रस्तावकों के साथ चर्चा ।• समस्याओं का तत्काल समाधान• संसद से सम्बंधित स्वायत्त दायित्वों का निर्वाह• संस्था के कार्यकुशल प्रयोजन के लिए उचित जनशक्ति	<ul style="list-style-type: none">• वर्ष के दौरान प्राप्त सम्पूर्ति प्रस्तावों की कुल संख्या की तुलना में सम्पूर्ति चरण पर अनुमोदित प्रस्तावों की प्रतिशत• वर्ष के दौरान आयोग के पास विचार हेतु प्राप्त प्रस्ताव की तुलना में सभी प्रकार से सम्पूर्ण/प्रक्रियाबद्ध प्रस्ताव• वर्ष के दौरान आयोजित कार्यशालाएं ।• अवधि के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की तुलना में शिकायतों/समस्याओं के समय से भेजे गए प्रतियुत्तर• वार्षिक लेखे तथा वार्षिक रिपोर्ट संसद में भेजी गई• रिक्त पदों को भरा गया• भर्ती विनियमों के संशोधन की अधिसूचना

जन शिकायत तंत्र

आयोग का जनता से वस्तुतः सीधा संवाद नहीं होता है; अतः उसे जनता से कोई शिकायतें / अभ्यावेदन नहीं मिलते । आयोग ने जनता से शिकायतें प्राप्त करने और 48 घंटे के अन्दर उनकी पावती भेजने के लिये अपने सचिव को पहले से ही नायक अधिकारी नियुक्त किया हुआ है । किसी शिकायत विशेष के निवारण और उस पर अंतिम निर्णय के लिये शिकायत के नायक अधिकारी की प्राप्ति की तारीख के बाद आयोग के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखा जाता है शिकायत पर आयोग का निर्णय 15 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को सूचित कर दिया जाता है ।

सेवार्थी समूह तथा उनकी अपेक्षाएं

	सेवार्थी समूह	अपेक्षाएं
1.	स्थानीय निकाय – न.दि.न.पा., दि.न.नि., दि.वि.प्रा.	उनके द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर परामर्श देना
2.	सरकारी विभाग	आयोग को सौंपे गए विशेष कार्यों पर परामर्श देना
3.	वास्तुक/प्रमोटर	उनके द्वारा आयोग के पास प्रत्यात्मक प्रस्तावों पर परामर्श देना

उत्तरदायित्व / केन्द्र

दि न क आ के पास बहुभागी केन्द्र नहीं हैं ।

सेवा प्राप्तकर्ताओं से सूचक अपेक्षाएँ

मर्दे	सेवा प्राप्तकर्ताओं से सूचक अपेक्षाएँ
वास्तुक/परियोजना मालिकों/स्थानीय निकायों से प्राप्त भवन योजनायें ।	<ul style="list-style-type: none"> दस्तावेज/सामग्रियां/मॉडल इत्यादि दिनकआ के दिशा निर्देशों, जो कि DUAC वेबसाइट (www.duac.org) पर उपलब्ध हैं, के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहियें । मांगी गई जानकारी/मॉडल इत्यादि आयोग में एक ही बार में जमा करवाने चाहियें, अंशों में नहीं । समय की बचत के लिए संशोधित प्रस्तावों में आयोग की टिप्पणियों को सम्मिलित करके शीघ्र जमा करवाना चाहिये । दिनकआ के प्रोफार्मा की सटीक व पूर्ण जानकारी के साथ भरा जाना चाहिये ताकि अनावश्यक पत्राचार से बचा जा सके ।

घोषणा पत्र की अगली समीक्षा का माह तथा वर्ष - अप्रैल 2017